भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : †3088

उत्तर देने की तारीख : 11.03.2026

'उम्मीद केंद्रीय पोर्टल

†3088. श्री जुगल किशोर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वक्फ संशोधन अधिनियम, 2005 के प्रभावी होने के पश्चात् एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) केंद्रीय पोर्टल-2025 के कार्यान्वयन की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त पोर्टल पर अपलोड की गई/सत्यापित की गई/अस्वीकार की गई वक्फ संपत्तियों और पंजीकरण तथा मुकदमेबाजी जैसे शुरू किए गए मॉडयूल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त पोर्टल के वक्फ के शासन और सामुदायिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) एवं (ख): एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 की धारा 3(टक) के प्रावधानों के अनुसार, एक वैधानिक पोर्टल अर्थात् UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 विकसित किया गया है तथा 06.06.2025 को प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य मौजूदा वक्फ तथा वक्फ को समर्पित संपत्तियों का विवरण अपलोड करना, नए वक्फ का पंजीकरण करना तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वक्फ के समग्र प्रबंधन एवं अभिशासन को सुगम बनाना है। यह पोर्टल मेकर-चेकर-अप्रूवर कार्यप्रणाली पर कार्य करता है। मेकर द्वारा अपलोड की गई जानकारी को आगे चेकर द्वारा सत्यापित किया जाता है और अंततः अनुमोदनकर्ता द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

दिनांक 09.03.2026 की स्थिति के अनुसार, कुल **6,36,558** वक्फ संपत्तियों के विवरण अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिनमें से **3,00,127** वक्फ संपत्तियों को अनुमोदनकर्ता द्वारा सत्यापित एवं अनुमोदित किया जा चुका है, जबकि **37,512** वक्फ संपत्तियों को सत्यापन के दौरान अस्वीकृत कर दिया गया है। दिनांक 09.03.2026 की स्थिति के अनुसार प्रगति रिपोर्ट **अनुबंध-I** में संलग्न है।

पोर्टल के प्रारंभ होने के बाद से निम्नलिखित मॉड्यूल शुरू किए गए हैं:

क्र.सं.	**मॉड्यूल का नाम**	**शुरूआत की तिथि**
1.	मौजूदा वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करना	06.06.2025
2.	कलेक्टर मॉड्यूल (नए वक्फ पंजीकरण के लिए मॉड्यूल)	04.07.2025
3.	वक्फ-अलल-औलाद मॉड्यूल	27.08.2025
4.	संस्थान अभिशासन मॉड्यूल	03.10.2025
5.	मुकदमा प्रबंधन मॉड्यूल	03.10.2025
6.	वक्फ संपत्ति पट्टा प्रबंधन मॉड्यूल	30.01.2026
7.	सर्वेक्षण मॉड्यूल	30.01.2026

(ग): UMEED नियमावली, 2025 के नियम 3 के अनुसार, अपलोड किए गए डेटा की जांच की गई और इसमें विशेष रूप से वक्फ संपत्तियों के क्षेत्रफल से संबंधित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां पाई गईं। तदनुसार, सभी राज्य वक्फ बोर्डों को प्रासंगिक भूमि रिकॉर्ड के संदर्भ में क्षेत्रफल के विवरण को फिर से सत्यापित करने की सलाह दी गई है।

पोर्टल के मॉड्यूल में से एक 'वक्फ-अलल-औलाद मॉड्यूल' है, जिसे वक्फ-अलल-औलाद संपत्तियों से संबंधित विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सामुदायिक कल्याण के लिए वक्फ संसाधनों का बेहतर उपयोग और इनके अभिशासन में सुधार करना है।

*****

अनुबंध-I

'उम्मीद केंद्रीय पोर्टल' विषय पर श्री जुगल किशोर द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 11.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3088 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वक्फ प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य वक्फ बोर्ड	मेकर द्वारा प्रविष्टि के लिए शुरू की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या	मेकर द्वारा प्रस्तुत की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या (चेकर के पास लंबित)	चेकर द्वारा प्रस्तुत की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या (अनुमोदनकर्ता के पास लंबित)	अनुमोदनकर्ता द्वारा स्वीकृत वक्फ संपत्तियों की संख्या	अब तक शुरू/ पूर्ण की गई वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या	चेकर/अनुमोदनकर्ता द्वारा अस्वीकृत वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या (मेकर के पास लंबित)
		(A)	(B)	(C)	(D)	(A+B+C+D+E)	(E)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	58	0	1	147	213	7
2	आंध्र प्रदेश	254	705	150	11237	12463	117
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4	असम	67	428	0	171	684	18
5	बिहार शिया	463	33	5	4778	5349	70
6	बिहार सुन्नी	1343	2315	30	6634	11139	817
7	चंडीगढ़	1	0	0	22	23	0
8	छत्तीसगढ़	147	117	16	1723	2158	155
9	दिल्ली	269	2846	0	64	3183	4
10	गोवा	0	0	0	0	0	0
11	गुजरात	2940	306	346	22530	27455	1333
12	हरियाणा	409	0	0	12920	13449	120
13	हिमाचल प्रदेश	58	16	0	837	915	4

क्र. सं.	राज्य वक्फ बोर्ड	मेकर द्वारा प्रविष्टि के लिए शुरू की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या	मेकर द्वारा प्रस्तुत की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या (चेकर के पास लंबित)	चेकर द्वारा प्रस्तुत की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या (अनुमोदनकर्ता के पास लंबित)	अनुमोदनकर्ता द्वारा स्वीकृत वक्फ संपत्तियों की संख्या	अब तक शुरू/ पूर्ण की गई वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या	चेकर/अनुमोदनकर्ता द्वारा अस्वीकृत वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या (मेकर के पास लंबित)
		(A)	(B)	(C)	(D)	(A+B+C+D+E)	(E)
14	जम्मू एवं कश्मीर	222	2	0	25466	25743	53
15	झारखंड	220	711	0	107	1038	0
16	कर्नाटक	4307	76	55	52609	58218	1171
17	केरल	5561	34932	9682	757	54259	3327
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	131	36	0	298	478	13
20	मध्य प्रदेश	1872	5951	1003	18033	28064	1205
21	महाराष्ट्र	4335	30153	7440	17388	62991	3675
22	मणिपुर	16	0	0	375	393	2
23	मेघालय	0	0	0	13	13	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	489	28	2391	3068	6102	126
27	पुडुचेरी	24	62	4	507	624	27
28	पंजाब	730	8	1	25228	26190	223
29	राजस्थान	2682	2560	290	10781	26914	10601
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	2597	2323	1308	5214	12186	744
32	तेलंगाना	3947	8929	1765	42742	63337	5954
33	दादरा एवं नगर हवेली और	1	1	0	0	2	0

क्र. सं.	राज्य वक्फ बोर्ड	मेकर द्वारा प्रविष्टि के लिए शुरू की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या	मेकर द्वारा प्रस्तुत की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या (चेकर के पास लंबित)	चेकर द्वारा प्रस्तुत की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या (अनुमोदनकर्ता के पास लंबित)	अनुमोदनकर्ता द्वारा स्वीकृत वक्फ संपत्तियों की संख्या	अब तक शुरू/ पूर्ण की गई वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या	चेकर/अनुमोदनकर्ता द्वारा अस्वीकृत वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या (मेकर के पास लंबित)
		(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(A+B+C+D+E)**	**(E)**
	दमन एवं दीव						
34	त्रिपुरा	23	0	0	2712	2780	45
35	उत्तराखंड	283	57	34	1537	2546	635
36	उत्तर प्रदेश शिया	872	1817	2199	1334	7611	1389
37	उत्तर प्रदेश सुन्नी	11784	66358	3087	14124	98220	2867
38	पश्चिम बंगाल	4066	51875	6296	16771	81818	2810
	कुल	50171	212645	36103	300127	636558	37512

*****